


अपील संख्या 93/2017 एल आर एक्ट  
अनवान जयवीर बनाम उम्मेदसिंह वगैरह

.तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व अहकाल हुक्त की में जा
03-05-2019	<p>पत्रावली विद्वा प्रार्थना पत्र के आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त श्री अरुण जोशी ने विद्वा प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ पर बहस के दौरान कंहा कि अपीलार्थी एव प्रत्यर्थी के मध्य राजीनामा हो गया है तथा उनके मध्य अब कोई विवाद नहीं रहा है, इसलिए अपीलार्थी अब उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है, अतः अपील (WITHDRAW) विद्वा फरमाई जावे।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलांत द्वारा पेश विद्वा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया।</p> <p>इस न्यायालय में यह अपील अपीलान्त के अभिभाषक श्री अरुण जोशी द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरु के निर्णय दिनांक 02.03.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। अभिभाषक अपीलाट स्वयं इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है अतः विद्वा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्त जरिये (WITHDRAW) विद्वावल खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> अधीनस्थ आयुक्त डीकानेर</p>	<p>अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया</p>